

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(190)नविवि/3/09

जयपुर, दिनांक: 13.01.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को लाडनूं के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील लाडनूं जिला नागौर के निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:—

क्र.स.	ग्राम का नाम
1.	लाडनूं
2.	पदमपुरा
3.	मंगलपुरा
4.	नाटास
5.	दुजार (किशनगढ़ – हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से एक किलोमीटर पूर्व एवं पश्चिम तक की दूरी का क्षेत्र)
6.	खिन्दास
7.	गोरेड़ी

राज्यपाल की आज्ञा से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवा कर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, नागौर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कुचामन।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक



nitya urbanscape

Plot no. 7-A, Keshav vihar, Gopalpura bypass, Jaipur, rajasthan
0141-2763277 e.mail : shailashank@yahoo.co.in

क्रमांक: एन.यू./लाडनू/007

जयपुर, दिनांक: 31.10.09

वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन अजमेर।

विषय:— लाडनू के लिये प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र अधिसूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र संख्या एजेजेड/1120/M.P/09/2658 दिनांक: 11/10/09 के सन्दर्भ में लिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए लाडनू के प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र अधिसूचना की रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसकी तीन प्रतियाँ मय मानचित्र के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

भवदीय

नित्या अरबन स्केप
प्लॉट नं 7-ए, केशव विहार,
गेपालपुरा बाई-पास, जयपुर।